न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 43/2025

बउनवान

सरकार जर्ये धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां (प्रार्थी)

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र श्री मांगीलाल, डोलाई बस्ती माथना, बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

जिला कलक्टर बारां (राज.)

उपस्थिति :— 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री बृजमोहन गोयल एड. (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 13.02.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के कम में प्रार्थी हमराह रमेशचंद मीणा, प्रवर्तन अधिकारी, संतोष कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, माथना चौराहा स्थित सुमन इलेक्ट्रोनिक्स बारां पर पहुंचे मौके पर कन्हैयालाल पुत्र श्री मांगीलाल निवासी मांगरोल रोड जिला बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो रिफलिंग नोजल को मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एच.पी.गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी के द्वारा अपने घर का गैस सिलेण्डर खाली हो जाने के कारण शाम को अपने घर पर लेकर जाना चाहने से भरवाकर लाकर दुकान पर रखा और था और इसी बीच में मिथ्या सूचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर मौके से जप्त कर लिया गया और कहा कि आप अवैध रूप से गैस सिलेण्डर भरते हो जबकि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से अवैध रूप से सिलेण्डर में गैस नहीं भरी जाती है। प्रार्थी को रंजिशवश मिथ्या सूचना देकर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उक्त प्रकरण से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.16 16:20:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

प्रार्थी

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो रिफलिंग नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को रंजिशवश मिथ्या सूचना देकर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने घर का सिलेण्डर खाली हो जाने के कारण भरवाकर दुकान पर रखा गया था जिसे वो शाम को अपने साथ लेकर घर जाता उसे प्रार्थी द्वारा जब्त कर लिया गया है। उक्त प्रकरण से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने जब्तशुदा रिफलिंग नोजल बाबत कोई कथन अपने जवाब में तथा बहस के दौराने नहीं किया कि वे नोजल उसकी दुकान पर क्यों थे। हम बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 0053519T का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें तथा जब्तशुदा दो रिफलिंग नोजल को खुली नीलामी में नीलाम किया जाकर प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.16 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested